राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1798/2015/ जयपुर
2. अपील संख्या – 1799/2015/ जयपुर
3. अपील संख्या – 1800/2015/ जयपुर
4. अपील संख्या – 1801/2015/ जयपुर
5. अपील संख्या – 1802/2015/ जयपुर
6. अपील संख्या – 1803/2015/ जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–आई, जयपुर .....अपीलार्थी की ओर से

बनाम

मैसर्स ग्लोबल हार्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल,
वैशाली नगर, जयपुर .....प्रत्यर्थी की ओर से

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.05.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त सभी छहः अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 11, 12, 15, 34 (ए) तथा 35 के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–पी, जयपुर (जिन्हें आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा यें अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	अन्तर कर	ब्याज
1798/16	24/अ.प्रा.–I/प्रवेशकर/ जयपुर/2015–16	08.03.2016	2444	1383
1799/16	25/अ.प्रा.–I/प्रवेशकर/ जयपुर/2015–16	08.03.2016	9759	4825
1800/16	26/अ.प्रा.–I/प्रवेशकर/ जयपुर/2015–16	08.03.2016	12650	3957
1801/16	27/अ.प्रा.–I/प्रवेशकर/ जयपुर/2015–16	08.03.2016	60887	13050
1802/16	28/अ.प्रा.–I/प्रवेशकर/ जयपुर/2015–16	08.03.2016	38369	2658
1803/16	29/अ.प्रा.–I/प्रवेशकर/ जयपुर/2015–16	08.03.2016	28057	1964

2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक हॉस्पीटल का संचालन किया जाता है। दिनांक 17.06.2015 को प्रत्यर्थी के व्यवसाय के स्थल की जांच की

लगातार.....2

जाने पर पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से मेडिकल उपकरण एवं मशीनें इत्यादि की खरीद की गई है, जिन पर प्रवेश कर देय है, किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा प्रवेश कर जमा नहीं कराया गया है। जांच अधिकारी द्वारा करवंचना का अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से क्रय किये गये उपकरणों पर प्रवेश कर नहीं चुकाये जाने, पंजीयन नहीं लिये जाने तथा रिर्टन पेश नहीं किये जाने के कारण कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित किये। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज को यथावत रखा परन्तु शास्ति को अपास्त कर व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यें अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील के पक्ष में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम, 1999 के तहत देय प्रवेश कर स्वयं द्वारा जमा नहीं करवाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करवंचना का अभियोग बनाया गया एवं व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से खरीद किये गये चिकित्सा उपकरणों पर प्रवेश कर ब्याज व अधिनियम की धारा 12(5) के तहत शास्ति आरोपित की गई थी, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में कर व ब्याज को यथावत रखा गया, परन्तु आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जो अविधिक होने से शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

6. एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक हॉस्पीटल का संचालन किया जा रहा था, जिनके द्वारा राज्य के बाहर से मेडिकल उपकरण, मशीन इत्यादि की खरीद की गई थी, परन्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश कर नहीं चुकाया जाना पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर व ब्याज जमा करवा दिया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी हॉस्पिटल संचालक को करवंचना का दोषी मानकर शास्ति का भी आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में आरोपित शास्ति को चुनौती दी जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिनक्स बनाम स्टैट ऑफ तमिलनाडू 23 VST 249(SC) एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स लार्ड वैकटेंशवर बनाम वा.क.अ. 2007 19 TU 85 के निर्णय के आलोक में शास्ति को अपास्त कर दिया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड पर यह प्रमाणित है कि व्यवहारी एक नियमित वाणिज्यिक संस्था नहीं है बल्कि एक हॉस्पिटल का संचालन करते है जिनके द्वारा मेडिकल उपकरणों की खरीद की गई है तथा विधिक प्रावधानों की अनभिज्ञता के कारण ही कर जमा नहीं कराया गया था परन्तु उनके द्वारा किसी भी तरह की खरीद को छुपाया नहीं गया था एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिज्ञान में लाया जाने पर कर व ब्याज जमा करा दिया गया था। माननीय न्यायलयों के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त शास्ति को अपास्त किया जाने में कोई भूल नहीं की है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भी प्रवेश कर अधिनियम के तहत देय कर जमा कराये

लगातार.....3

जाने की शर्त पर शास्ति राशियों को माफ(Waive) किया गया गया है। फलतः आरोपित शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य